न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.: 37 / 2024

तारीख रजू : 29.07.2024

निर्णय दिनांक : 15.05.2025

उनवान:

1. गंगादेवी उम्र 62 साल पत्नी श्री महावीरसिंह
2. रमेश उम्र 57 साल पुत्र श्री श्योचन्द
3. रितु देवी उम्र 51 साल पुत्र महेन्द्रसिंह
4. रोशनलाल उम्र 55 साल पुत्र श्योचन्द
5. सुरेश उम्र 59 साल पुत्र श्योचन्द
6. सावित्री उम्र 62 साल पुत्र श्योचन्द सभी जाति कुम्हार निवासी डाबडवास तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड (राज.)

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128,111 आर.टी.ए.
बाबत करवाये जाने पत्थर गढी ।

उपस्थितिः–नवीनबाला योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2507/118 रकबा 0.2177 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना मे स्थ्घित है जो मिन प्रार्थीगण की सहखातेदारी काश्त की आराजी है जिसमे हम प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी प्रत्येक अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैाईश दिनांक 27.06.2024 को श्रीमान् तहसीलदार साहब, नीमराना के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई है तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नही की गई है तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा राजस्व न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

पत्रावली मे वकील प्रार्थीगण द्वारा शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर, पत्रावली मे वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी, सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 27.06.2024 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश तहसीलदार नीमराना के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा के मुताबिक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय मे पेश नही की गई है। इसलिए न्याय हित मे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 27.06.2024 के मुताबिक प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2507/118 रकबा 0.2177 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128,111 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार, नीमराना को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2507/118 रकबा 0.2177 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 27.06.2024 के आधार पर,पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थर गढी करने मे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान करने की सूरत मे पुलिस प्रशासन की सहायता से पत्थर गढी करने के आदेश भी दिये जाते है। तहसीलदार नीमराना को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे । पत्रावली फैसल शूमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
महेन्द्र सिंह यादव
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)